न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर
(हाल कार्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर)

क्र० ओ०एस०डी०/नविआ/91/ 1700 दिनांक : 30-5-91

वाद संख्या :- 5/88/2

5/88/4

5/88/24

5/88/31

5/88/34

5/88/35

5/88/44

5/88/85

5/88/74

5/88/87

5/88/89

5/88/90

5/88/91

5/88/92

5/88/93

5/88/94

5/88/98

5/88/99

5/88/101

5/88/103

5/88/110

5/88/113

5/88/114 ए

5/88/115

5/88/124

5/88/126

5/88/35 ए

5/88/111

5/88/54

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

Received copy
ओमप्रकाश शर्मा
10.6.91

..2

- 2 -

विषय:-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कालोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का अंतिम अवार्ड योजना सांगानेर तृतीय की उपरोक्त खातों की कुल भूमि 83 बीघा 07 बिस्वा ।

==

पीठासीन अधिकारी :- श्री जेठमल व्यास, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।

पक्षकारान :- 1-भूमि के सभी संबंधित खातेदार ।

2-राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री नरहरि शर्मा सचिव रा.आ.मं. श्री सी.एम. वर्मा तहसीलदार राज0आ0मं0एवं श्री जे0के0सिंघी, एडवोकेट ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति दि. 7.3.1988 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अवाप्ति हेतु विज्ञप्ति राज.राजपत्र 16 जून 1988 में प्रकाशित करा कर सर्वे आदि करने हेतु अधिकृत किया तत्पश्चात आवासन मण्डल के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 17 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धारा 5 ए के प्रावधान लागू नहीं करते हुए धारा 6(4) (1) एवं 17(4) के अंतर अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्यालय, जयपुर को अपनी विज्ञप्ति नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना जो भाग 1 ख राज. राजपत्र 1 जून 1989 में प्रकाशित हुई है के द्वारा भूमि अवाप्ति की व्यवस्था करने एवं धारा 17 की (4) एवं धारा 9(1)में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर अवाप्ति अधीन भूमि का कब्जा लेने के निर्देश दिये जिसकी अनुपालना में दि. 18.8.89 एवं 19.8.89 को भूमि का कब्जा लिया गया तथा उसी दिन आवासन मण्डल को सौंपा गया ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9(1) की अनुपालना में सार्वजनिक नोटिस क्र. 527 से 531 दि. 3.7.89 को जारी किये गये । इसके पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा

...3

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1831 के अन्तर्गत क्लेम एवं खातेदारों के हित की मजज में उचित मुआवजे एवं पैमाइश क्षेत्रफल के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी करने पर खातेदारान की ओर से वाद संख्या 5/88/2, 34, 35, 44, 101, 113, 114 एवं 115 में क्लेम पेश किये गये जो संलग्न पत्रावली है।

इसी प्रकार पेड़ों का मुआवजा फलदार पेड़ों में अमरूद 500 रू. अनार 200 रू. अरडू 300रू. बेर 500 रू. करोंदा 400 रू.आवंला 400रू. नीबूं 800रू. जामुन 500 रू. आम 800 रू. सफेदा 400 रू. नीम 500 रू. सेंजणा 400 रू. कुआ 10 रू. प्रति नग खजूर 400 रू. खेजड़ा 400 रू. पापड़े 400 रू. इसी प्रकार शिफ्टिंग चार्जेज में भी मुआवजा राशि की मांग की गई। रहने के लिए - एक एक भूखण्ड की भी मांग की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल ने जवाब में भूमि की दर 25000/- रू. प्रति बीघा दर्शाई है तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देने की सहमति जाहिर की है। भूखण्ड के बारे में बताया गया है कि प्रार्थीगण राजस्थान आवासन बोर्ड में पंजीकरण खुलने के उपरान्त पंजीकरण करा कर भूखण्ड प्राप्त कर सकते है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कुएं मकान आदि के तकमीने भी प्रस्तुत कर दिये है। भूमि के बाजार भाव में मूल्यांकन के के लिए खातेदारों की ओर से अलग-अलग दरों की रजिस्ट्री पेश की गई है। जिनमें मुख्यत: रजिस्ट्री सं. 1 दि. 30.8.84 ख.न. 372, 10 बीघा बंजड़ भूमि 47000/-रू. प्रति बीघा की दर से बेचने की पेश की है। एरोड्रम विस्तार के लिए बुद्धसिंहपुरा, मनोहरपुरा दिलावाला, बादरीवाला, खोखावास एवं सांगानेर की विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमियां की अवाप्ति के लिए अवार्ड दि. 24.9.86 जो भूमि अवाप्ति अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, जयपुर द्वारा पारित है की प्रति पेश की। इसमें धारा 4 की विज्ञप्ति दि. 6.5.82 की जारी हुई है, दर प्रति बीघा 33 हजार रू. दी गई है।

इसी प्रकार अवार्ड दि. 18.9.90 जो रीको के लिए ग्राम सीतापुरा सांगानेर मे 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्ति के संबंधमें पेश किया गया है जिसकी धारा 4 की विज्ञप्ति 21.10.89 की है तथा दर 56 हजार एवं 60 हजार रू. प्रति बीघा दी गई है। विक्रय पत्र दि. 15.6.89 जो ख.नं. 924 भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा बारानी रकबा कुल .68 [illegible] इसमें 1/4 हि. क्रेताओं द्वारा 85 हजार रू. में खरीद करना

...4

बताया है जो पेश किया है। इसकी दर 1 लाख 28 हजार रु० प्रति बीघा आती है। यह रकबा ग्राम श्योपुर तह० सांगानेर का है।

विक्रय पत्र दि० 3·9·90 ख०नं० 79 रकबा ·19 एअर जो ग्राम सुखपुरा तह० सांगानेर का है। इसमें क्रेताओं द्वारा 1 यह रकबा 1 लाख 4 हजार 500 रु० प्रति बीघा की दर से क्रय किया गया है। यह भूमि टोंक रोड पर सुखपुर गांव की आबादी से 1 कि०मी० की दूरी पर स्थित बताई गयी है जो सांगानेर नगरपालिका से भी 5-6 कि०मी० की दूरी पर है। इसी प्रकार एक विक्रय पत्र दि० 29·9·89 व 7·9·89 ग्राम ठिकरिया की रजिस्ट्री 90 हजार रु० प्रति बीघा से बेचना बताया है। एक विक्रय पत्र 23·9·89 ग्राम महापुरा तह० सांगानेर जो 80 हजार रु० प्रति बीघा से विक्रय हुई बताई गई है एक विक्रय पत्र दि० 26·11·88 ग्राम टीबा श्योपुर जो अवाप्तशुदा भूमि से 1 कि०मी० दक्षिण-पूर्व पर स्थित पर है को 52 हजार रु० प्रति बीघा से बेचान करना बताया है।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति इस क्षेत्र से 100 से 250 रु० तक प्रति वर्गगज के हिसाब से भूखण्ड विक्रय कर रही है। विक्रय पत्र दि० 15·6·89 जो ·68 एअर कृषि भूमि ग्राम श्योपुर में इसमें से 1/4 हि० 85 हजार रु० से विक्रय किया है तथा दूसरी रजिस्ट्री 26·11·88 जो ग्राम टीबा श्योपुर की 52 हजार रु० प्रति बीघा से बेची है। इसका ख०नं० 843 है इन सब पर विचार करने का आग्रह किया गया है। मुआवजा निर्धारण के संबंध में खातेदारों की ओर से वकील श्री भौरीलाल शर्मा द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई जिसमें विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का हवाला दिया गया है। इन निर्णयों में मुख्य ए०आइ०आर० 1986 पेज 257, ए०आइ०आर० 1985 पेज 298, ए०आई०आर० 1980 पेज 225, ए०आइ०आर० 1986 पेज 323 इलाहबाद डब्लू० सी० 608 ए०आइ०आर० 1981 पटना पेज 81, ए०आइ०आर० 1986 गुजरात पेज 24 डी०बी० ए०आइ०आर० 1986 दिल्ली पेज 104 डी०बी० ए०आइ०आर० 1982 दिल्ली एन०ओ०सी० पेज 165 ए०आइ०आर० 1985 पटना पेज 305 ए०आइ०आर० 1973 दिल्ली पेज 104 डी०बी० ए०आइ०आर० 1974 सर्वोच्च न्यायालय पेज 787 ए०आइ०आर० 1980 पेज 324 डी०बी० ए०आइ०आर० 1985 सर्वोच्च न्यायालय पेज 104 ए०आइ०आर० 1975 सर्वोच्च न्यायालय पेज 1723 से उदाहरण प्रस्तुत किये है।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

लिखित बहस में इन्होंने कुआं, बोरिंग कोठे, पक्की नालियों, पाइप लाइनों आदि के लिए मुआवजा दि. 4.11.88 की बी.एस.आर. की दर भी दिलाने की मांग की है। भूखण्ड देने के बारे में ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 2205 ए.आई.आर. 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 2036 ए.आई.आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 90 का हवाला देकर निवास के लिए भूखण्ड देने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भूमि जयपुर हवाई अड्डे के नजदीक व उत्तर दिशा में 1/2 कि.मी. पर बिड़ला आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान 2 कि.मी. पर मालवीय नगर एवं सांगानेर टाउन होने के कारण। लाख 25 हजार रु. प्रति बीघा बाजार दर से मुआवजा क्लेम किया है। रा.आ.म. द्वारा दि. 21.7.88 की रजिस्ट्री सं. 898 पेश की है जो श्योपुर के ख.नं. 1446 1450 रकबा र .52 एअर बारानी भूमि जो रेल्वे लाइन के पास इस स्कीम से करीब 5 कि.मी. दूर है 52 हजार 500 रु. में बेचने की प्रस्तुत की है। यह बारानी भूमि है जो रोड साइड पर नहीं है और इसकी दर प्रति बीघा 24 हजार 230.88 आती है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों एवं प्रस्तुत रजिस्ट्री दस्तावेज एवं निर्णयों का अवलोकन किया एवं मौखिक बहस भी सुनी गई है जिस परभी मनन किया व मौका मुआयना भी किया गया। रा.आ.म. द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री में भूमि जो बेचान की गई है वह वर्तमान अवाप्त की जाने वाली भूमि से काफी दूर की है जिससे इतनी कम दर वर्तमान भूमि के मुआवजे के लिए उचित प्रतीत नहीं होती। अत: इसेअस्वीकार किया गया। इसी प्रकार खातेदारों द्वारा ग्राम टीबाश्योपुर की दि. 15.6.89 की। लाख 26 हजार रु. प्रति बीघा की दर की रजिस्ट्री पेश की गई है। यह भी अवाप्त अधीन भूमि से 3-4 कि.मी. दूर दक्षिण में है। अलग-अलग लोकेशन की भूमि के अलग-अलग उपयोग होते है तथा उनकी लोकेशन के अनुसार ही बाजार दर तय होती है।

अत: यह बाजार दर भी इस मामले में लागू नहीं हो सकती। इस मामले में धारा 4 की विज्ञप्ति जून 1988 की है। अत: इस तिथि को जो बाजार दर आस पास की भूमि के लिये प्रचलित थी, को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना है। खातेदारों द्वारा जो रजिस्ट्री बताई गयी है वह 3.9.90 29.9.89 7.9.89 अवार्ड दि. 8.9.90, 15.6.89, 3.9.89 एवं 29.9.89 की बताई गई है। अत: यह दरें स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा इनमें जो ग्राम सुखमुरिया की भूमि। लाख 40

26
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

हजार रू0 प्रति बीघा ठीकरिया की 90 हजार रू0 प्रति बीघा महापुरा की 80 हजार रू0 प्रति बीघा सीतापुरा की 60 हजार रू0 प्रति बीघा दरें बताई गई है । यह अन्य राजस्व ग्रामों की भूमियों से संबंधित है तथा इनकी लोकेशन भी अलग-अलग एवं अवाप्ति अधीन भूमि से काफी दूर होने से इन पर विचार नहीं किया जा सकता । इसके अलावा ख0 नं0 372 की दि0 30-8-84 की रजिस्ट्री प्रति बीघा 96 हजार रू0 की पेश की गई है । यह सांगानेर की आबादी के पास होने से यह दर दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि अवाप्ति अधीन भूमि सांगानेर कस्बे से करीब 3-4 कि0मी0 दूर स्थित है । तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी श्योपुर की रजिस्ट्री सं0 1037 दि0 11-8-88 दर 26 हजार 666 रू0 प्रति बीघा रजिस्ट्री सं0 1067 दि0 20-8-88 दर 25 हजार रू0 प्रति बीघा रजिस्ट्री सं0 1145 दि0 28-11-88 दर 51 हजार 515 रू0 प्रति बीघा तथा रजिस्ट्री सं0 620 दि0 15-6-89, 1 लाख 25 हजार रू0 प्रति बीघा की दर से होना बतलाया गया है ।

मौके की स्थिति अनुसार तथा भूमि की वर्तमान एवं भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए अगस्त 1983 की जो दरें बताई गई है वे भी कम प्रतीत होती है । इसी प्रकार रा0 आ0 मं0 ने भी अवाप्त अधीन भूमि से दूर की भूमि की रजिस्ट्री पेश की है, जिस पर दर निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता । वर्तमान अवाप्ति अधीन भूमि चूंकि सांगानेर कस्बे से करीब 3 कि0 मी0 की दूरी पर तथा जयपुर टोंक सड़क के पास एवं रा0 आ0 मं0 की आवासीय कालोनी के पास होने से आवासीय उपयोगिता में हुई वृद्धि एवं पोटेनशियलिटी के आधार पर बाजार दर तय करना उचित प्रतीत होता है एवं पूर्व में सांगानेर योजना प्रथम एवं द्वितीय के अवार्ड जो अवाप्ति अधीन भूमि के पास की भूमियों के लिए थी, जिससे अगस्त 1983 की धारा 4 की विज्ञप्ति के आधार पर 26.27 हजार रू0 प्रति बीघा की दर अवार्ड क्र0 2058 दि0 29-12-88 जो चिपती हुई जमीनों के लिए दिया गया था, अत: यह इस मामले में प्रासंगिक है । इस 26 हजार रू0 की दर में 13 % बैंक ब्याज

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

की वृद्धि प्रतिवर्ष के आधार पर जोड़ कर सिंचित भूमि के लिए 48000/- तथा असिंचित के लिए 47000/- रू० प्रति बीघा की दर तय की जाती है। सड़क के पास वाली भूमि के लिए एक हजार रू० प्रति बीघा की दर से वृद्धि देकर मैं दरें तय करना उचित समझता हूँ ।

इसी प्रकार पेड पौधों के लिए सामान्यतया अमरूद 400/- रू० अनार 100 रू० अरडू 200 रू०, बेर 200 रू० करोंदा 200 रू० आंवला बड़ा 200 रू० छोटा 100 रू० नींबू 400 रू० जामुन 350 रू० छोटा 200 रू० आम 800 रू० सफेदा बड़ा 200 रू० मध्यम 150 रू० छोटा 100 रू० नीम बड़ा 100 रू० मध्यम 150 रू० छोटा 100 रू० छोटा 50 रू० खेजड़ा बड़ा 1500 रू० मध्यम 100 रू० छोटा 50 रू० पापड़े 400 रू० कुएं एवं स्ट्रेक्चर्स के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिया गया तकमीना स्वीकार किया जाता है ।

वाद संख्या 5/88/115 में 250 मीटर पाईप लाइन का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नहीं दिया गया है । अत: 5/- रू० मीटर की दर से 1250 रू० तकमीने में और जोड कर अवार्ड दिया जा रहा है ।

वाद संख्या 5/88/124 में खातेदार द्वारा एक दरखवास्त पेश की गई थी कि ख0नं0 72,73,74 ग्राम बुद्धसिंहपुरा विकास भवन सहकारी समिति को विक्रय कर कब्जा दे दिया है, इसकी पुष्टि में समिति द्वारा एवं खातेदारों द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अपने पक्ष में भूमि हस्तान्तरण संबंधि कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अत: सहकारी समिति को हितधारी व्यक्ति नहीं माना गया एवं खातेदार के पक्ष में ही अवार्ड जारी किया जा रहा है ।

...7

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/98, 124, 126, 111, 87, 110, 91, 94 103, 72, 31, 89, 90, 92 93 में क्लेम पेश नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

वाद संख्या 5/88/126 राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 78 79 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की बजाय ख नं. 68, 69 अंकित है । परन्तु खातेदार का नाम एवं खाते का कुल रकबा सही दर्ज होने से ख.नं. 68 69 का ही अवार्ड दिया जा रहा है । खातेदार ने कोई क्लेम पेश नहीं किया अत: एक पक्षीय अवार्ड दिया जा रहा है ।

वाद संख्या 5/88/101 में ख.नं. 552/689 सांगानेर शहर से लगभग 7 कि.मी. टोंक सड़क से भी लगभग डेढ़ कि.मी. अन्दर की तरफ है । यह भूमि नाले और रेल्वे लाइन से भी करीब 1 कि.मी. दूर स्थित होने से इसकी बाजार दर 42 हजार रु. प्रति बीघा तय की जाती है । ख.नं. 364 की 4 बिस्वा भूमि की दर 48 हजार रु. बीघा ही रहेगी ।

वाद सं. 5/88/24 में ख.नं. 47 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व वाद सं. 5/88/31 में ख.नं. 746 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का यह रकबा स्कीम से दूर होने के कारण रा.आ.म.द्वारा कब्जा नहीं लिया गया । इसी प्रकार श्योपुर में ही ख. नं. 1072/1209 रकबा 109 बीघा 13 बिस्वा भूमि गौशाला के नाम दर्ज होने से रा.आ.म.द्वारा कब्जानहीं लिया गया अत: इन खनम्बरों का अवार्ड नहीं दिया जा रहा है ।

इसी प्रकार वाद सं. 5/88/98 में ख.नं. 1001/4007 रकबा 19 बिस्वा का पूर्व में वाद सं. 10/83/72 में अवार्ड जारी किया जा चुका है । अत: इसे भी वर्तमान अवार्ड में शामिल नहीं किया गया । इसी वाद सं. 5/88/98 में ख.नं. 1001/4008 रकबा 1 बिस्वा सिवाय चक दर्ज है अत: इसका भुगतान किसी को नहीं दिया जायेगा ।

वाद संख्या 5/88/85 में गांव श्योपुर ख.नं. 518 रकबा 9 बिस्वा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है । इसमें सहकारी समिति का भवन बना हुआ है इसका तकमीना रा.आ.मं. द्वारा पेश नहीं किया गया है अत: इसका अवार्ड करने की आवश्यकता नहीं है ।

वाद संख्या 5/88/99 में गांव बम्बाला रकबा 17 बिस्वा ख.नं. 365 158, 175 सिवाय चक है । अत: केवल ख.नं. 365 में पंचायत समिति का स्कूल चल रहा है जिसके लिये रा.आ.म. ने 93 हजार 468 रु. 66 पैसे की राशि का तकमीना पेश हुआ है । अत: यह राशि पंचायत -

...8

विशेषाधिकारी
स्वायत्त शासन तथा आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

समिति सांगानेर कोरा ज.आ.म. द्वारा देय है। अतः इसका अवार्ड पंचायत समिति के पक्ष में जारी किया जाता है भूमि का कब्जा रा.आ.म. को सौंपा जा चुका है।

5/88/72 में सांगानेर कोपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक दरख्वास्त पेश की गई थी कि ख.नं. 643/1620 की भूमि समिति द्वारा क्रय कर ली गई है किन्तु अवसर दिये जाने के पश्चात भी समिति की तरफ से कोई दरखवास्त अथवा साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा अवार्ड खातेदार के नाम से जारी किया जा रहा है।

इसी प्रकार वाद सं. 5/88/31 में कृष्णा कोपरेटिव हा. सोसाइटी की ओर से इस वाद की भूमि को खरीदना बताया है किन्तु समर्थन में कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं करने से एक तरफा कार्यवाही की गई तथा अवार्ड खातेदार के पक्ष में दिया जा रहा है। इस वाद में ख.नं. 746 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का कब्जा रा.आ.म. द्वारा स्कीम से दूर होने की वजह से नहीं लिया गया अतः इसे अवार्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है।

वाद सं. 5/88/31, 111 35 में खातेदारों की ओर से मांग की गई है कि उन्हें नकद मुआवजे की बजाय विकसित भूमि दिलाई जावे। उनके प्रार्थना पत्र पर रा.आ.म. द्वारा निर्णय लिया जायेगा क्योंकि इस संबंध में इस न्यायालय के स्तर पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी। अतः इन मामलों में अवार्ड दिया जा रहा है।

वाद सं. 5/88/35 में ख.नं. 295 भूमि 6 बिस्वा का 80 % भुगतान भी संयुक्तरूप से सभी खातेदारों को हो चुका है। अतः यह 80 % उठाई गई राशि इस वाद सं. 5/88/35 की भूमि के मुआवजे में से कम की जाकर खातेदार वीरेन्द्रसिंह के नाम से ख.नं. 295 की नई वाद सं. 5/88/35 ए में यह राशि भुगतान की हुई न मानी जाकर नये सिरे से मुआवजा निर्धारण किया गया।

वाद सं. 5/88/103 में रिट सं. 3840/89 रामेश्वर बनाम स्टेट व रा.आ.म. माननीय उच्च न्यायालयमें विचाराधीन है जिसके लिए रा.आ.म. एवं खातेदार स्वयं के स्थगन आदेश के संबंध में सूचना मांगी गई किन्तु उन्होंने कोई सूचना स्थगन के बारे में नहीं दी है। अतः इस

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर

...9

मामले में भी अवार्ड जारी किया जा रहा है ।

वाद संख्या 5/88/90 5/88/89, 5/88/92, 5/88/93 6/88/94 में आवासन मण्डल द्वारा पूर्व अवार्ड में मकानों आदि के तखमीने दिये जाने बताये अत: वर्तमान में उनके द्वारा दिये गये तखमीने की राशि स्वीकार की गई ।

वाद सं० 5/88/35 ए इस वाद में एक रजिस्ट्री पेश की गई है जो कि दि० 27·9·88 की है । वकील खातेदार ने बताया है कि भूमि गैर मुमकिन आबादी है यह भूमि जयपुर के नजदीक कस्बे की रंगाई छपाई के व्यवसायिक केन्द्र सागानेर केंपास डेढ कि०मी० दूर जिसका भाव 25 ह हजार रू० प्रति बिस्वा है देने की मांग की है । हाउसिंग सोसाइटी जहाँ ऊँचे भाव से खरीद कर रही है । अत: दस हजार रू० प्रति बिस्वा से अतिरिक्त क्षति दिलाई जावे । गै०मु० आबादी भूमि के लिए शिफ्टिंग चार्ज 10 % भी दिलाया जावे । शेष परिलाभ नियमानुसार दिलाये जावें । 300 गज का रिहायशी भूखण्ड छोड़ा जावे । बाजार भाव के समर्थन में इस पर रिकार्ड देखा गया तो पाया कि यह 6 बिस्वा भूमि गै०मु० आबादी है जो श्योपुर गांव में स्थित है । रजिस्ट्री बाजार भाव बाबत गांव बम्बाला की पेश की का अवलोकन किया गया । इसमें 92 रू० प्रति वर्ग गज से भूमि बेची गई है । गांव की आबादी भूमि की बाजार दर हम धारा 4 की विज्ञप्ति के आधार पर 35 रूपये प्रति वर्गगज से निर्धारण करना उचित समझते है साथ ही 10 % शिफ्टिंग चार्जेज भी लगाकर मुआवजा की गणना की जाकर अवार्ड दिया जा रहा है ।

वाद सं० 5/88/4 मे भौरी देवी पत्नी गोपाल छीपा के मामले में आवासन मण्डल द्वारा कुए बोरिंग दीवार आदि का तखमीना 58770·89 रूपये का देने पर खातेदार की ओर से एतराज पेश करते हुए स्वयं के वेल्यूवर से एस्टीमेट करा कर तकमीना पेश किया गया जो 1 लाख दो सौ इकहतर रू० का है । इसकी जांच आवासन मण्डल द्वारा करवाई गई तो पुन: संशोधित तकमीना उनके द्वारा 73 634·60 रू० का पेश किया गया किन्तु इसमें एअर कम्प्रेशर के चार्जेज 3600 रू० नहीं जोड़े गये तथा कुए की गहराई 100 फुट मानी गई जो कम है । डेप्रिसियेसन दस साल का काटा गया है जबकि खातेदार की ओर से रजिस्ट्री व समर्थन-पत्र पेश किया जाता कि यह कुआ सन् 1981 में जमीन खरीदने के पश्चात बनवाया है, इसे आधार मानने से केवल 4 साल का डेप्रिसियेशन काटना उचित मानते

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

हुए आवासन मण्डल के तकमीने में इसके लिए काटी गई राशि 1760 रु. में से 760 रु. डेप्रिसियेशन के चार सालों में काट कर एक हजार रु. इस तकमीने में 4600 रु. और जोड़कर सन् 84 की बी.एस.आर. में आवासन अभियान्ता की दर सिफारिश अनुसार इस प्रतिशत राशि जोड़कर तकमीना आवासन मण्डल का स्वीकार किया जाता है। पेड़ों की राशि मौके के अनुसार 4600 रु. भी तकमीने में शामिल की गई है।

. वाद सं. 5/88/54 कृष्णापुरी गृह निर्माण समिति लि. जयपुर ने भूमि बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ खातेदार से खरीद की है तथा क्लेम की सुनवाई के वक्त उक्त समिति ने भूमि अवाप्ति बाबत एतराज करते हुए रिट सं. 1999/91 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर की है एवं यथा स्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश उच्च न्यायालय का होने से अनुमोदन हेतु अवार्ड अभी जारी नहीं किया जा रहा है। स्थगन समाप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाई की जावेगी।

वर्तमान में उपरोक्त वादों की भूमि जिस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः इस भूमि का जो अवार्ड में शामिल की जा रही है कुल 83 बीघा 07 बिस्वा का विवरण इस प्रकार है ;-

वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख.नं.	भूमि का विवरण बीघा-बिस्वा
5/88/2	श्रीमती ज्ञान कंवर पत्नि दुर्गासिंह	325 (श्यापुरा)	2-11
	पुष्पेन्द्रसिंह, कल्याणसिंह पुत्र	326	0-07
	रावदुर्गासिंह, श्रीमति अवधेश कुमारी		2-18
	पत्नि रघुवीर सिंह अभयसिंह, अजयसिंह		
	पुत्र रघुवीरसिंह व कु. कविता पुत्री रघुवीरसिंह		
	ना.बा. संरक्षिका अवधेश कुमारी, विष्णुकंवर		
	निर्मलकंवर पुत्री दुर्गासिंह।		
5/88/4	भौरीदेवी पत्नी गोपाल छीपा	35 (श्यापुरा)	0-06
		43	0-14
		44	0-02
		36	0-11
			1-13

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5/88/24	कल्याण, धन्नादास 1/2 भूरा पुत्र गणेश 1/2	747	(श्योपुर)	3-12
			भूमि का कब्जा रा० आ०मं० द्वारा नहीं लिया गया। अत: अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।	
5/88/31	बद्री पुत्र श्योबक्स 1/2 भँवरलाल, रामसहाय, हनुमानसहाय गोपाललाल, कन्हैयालाल पि०जगन्नाथ व श्रीमति गुलाबदेवी बेवा रामकल्याण 1/2	151	(श्योपुर)	1-08
		152		0-13
		153		0-03
		183		0-18
		184		0-06
		193		0-18
		194		0-07
				4-13
	ख०नं० 746 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा दूर स्थित होने से नहीं लिया गया। अत: अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।			
5/88/34	हनुमानसहाय 1/8 लादूराम 1/8 कालूराम 1/8, नरसी, गोपाल, सीताराम श्यामलाल पि०रामप्रताप मु०श्रृंगारीदेवी बेवा रामप्रताप 1/8 चिमना पुत्र संडा 1/2	165	(श्योपुर)	0-02
5/88/35	श्रीमति छगन कंवर पत्नी दुर्गासिंह 1/6 पुष्पेन्द्रसिंह 1/6, अवधेशकुमारी बेवा रघुवीरसिंह, अभयसिंह, अजयसिंह पि० रघुवीरसिंह कु० चिता पुत्री रघुवीरसिंह 1/8 कल्याणसिंह 1/6 विष्णुकंवर 1/6 निर्भयकंवर 1/6 पुत्री दुर्गासिंह	321	(श्योपुर)	0-05
		322		1-06
		323		0-06
		324		1-17
		359		1-07
		360		0-19
		361		0-08
		327		1-17
		328		0-13
		329 330		1-03
		331		2-01
		332		1-08
		333		1-12
				15-6
5/88/44	भैरू, पूरा, सोन्या पुत्रान पेमा रैगर	563	(श्योपुर)	0-06

5/88/85	शिक्षा विभाग राज० सरकार	318 (श्योपुर)	0-09
5/88/72	बिरदीचंद पुत्र बक्साराम रैगर	683/1620 (श्योपुर)	3-00
5/88/87	लेडू पुत्र हुकमा माली	910 (सांगानेर)	0-03
5/88/89	भौरीलाल, गोपाल पेमा, मोहन	931 " "	0-02
	पिता रामपाल माली	968	0-02
5/88/90	घीसा पुत्र जगन्नाथ	982 (सांगानेर)	0-01
5/88/91	भूरा महादेव, रामू पि० जगन्नाथ	986 (सांगानेर)	0-03
5/88/92	गुल्ला चौथू पि० टोडूमाली	987 -दू-	0-04
5/88/93	गुल्ला पुत्र टोडू माली	989 -दू-	0-02
5/88/94	चौथू पुत्र टोडू माली	994 -दू-	0-01
5/88/98	घीसा पुत्र जगन्नाथ माली	1001/4007	0-19
		उक्त वाद में पूर्व में 10/83/73 से अवार्ड जारी हो चुका है ।	
	सिवाय चक है ।	1001/4808	0-01
5/88/99	तहसीलदार सांगानेर	365 (बम्बाला)	0-04
		158	0-02
		175	0-11
			0-17
5/88/101	रामस्वरूपदास चेला नारायणदास	364 (बम्बाला)	0-04
		552/689	2-05
			2-09
5/88/103	रामेश्वर सीतार. रामू पि० प्रताप	245 (बम्बाला)	0-14
5/88/110	भौरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पि० नारायण 1/2, रंगलाल पि० छोटू 1/2	23 (बम्बाला)	0-03
		99	0-04
			0-07
5/88/113	कल्याण, मंगला, छोटिया पि० दयाला 1/2 नारायण पुत्र धन्ना 1/4 भौरिया पुत्र नानगा 1/4	389 (सांगानेर)	0-04

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5/88/114ए	कल्याण छोटया, मंगला पि. दयाला	387 (लक्ष्मीदामोदरपुरा)	1-05
5/88/115		391 -दू-	[illegible]-09
		396	2-04
		395	0-07
		399	0-07
5/88/124	कल्याण पुत्र गंगाराम मीणा	65 (बुलसिंहपुरा)	4-18
		66	4-06
		67	0-07
		72	0-04
		73	0-18
		74	6-01
			16-14
5/88/126	भोला पुत्र गोपाल	64 (बुलसिंहपुरा)	5-08
		68	1-02
		69	0-01
		70	3-02
		75	2-15
		76	6-13
			19-01
5/88/111	हनुमानसहाय, लादूराम, कालूराम पि. दामोदर मीणा 3/4 नरसीलाल गोपाललाल, सीताराम श्यामलाल पि. रामप्रताप श्रृंगारी देवी बेवा राम प्रताप 1/4	74 (जम्बाला)	0-06
5/88/35ए	वीरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह	295 (श्योपुर)	0-06
5/88/54	कृष्णपुरी गृह निर्माण स. समिति गांधीनगर, जयपुर ।	34 (सांगानेर)	0-19

नोट:- रिट सं. 1999/91 में यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश होने से अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है ।

खातेदारों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि की गणना अलग-अलग निम्न प्रकार की जाती है :-

...5

वाद संख्या - 5/88/2

खातेदार का नाम : श्रीमती ज्ञान कंवर पत्नि दुर्गासिंह पुत्री ठाकुरसिंह कल्याण सिंह पुत्र स्व0 दुर्गासिंह श्रीमती अवधेश कुमारी पत्नि रघुबीर सिंह अभय सिंह, अजयसिंह पु० रघुबीर सिंह कुमार कविता पुत्री रघुबीर सिंह ना०बा०सं० अवधेश कुमारी, विष्णु कंवर निर्मा कंवर पुत्री दुर्गासिंह ।

	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 ﴾1﴿ रकबा बीघा 2 बिस्वा 18 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू0 प्रति बीघा ।	1,39,200=00
2. पेड़-पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	13,564=05
3. योग ﴾ 1 + 2 ﴿	1,52,764=05
4. धारा 23﴾1﴿﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक ﴾कुल 429 दिन ﴿	16,159=50
5. धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	45,829=21
6. योग = ﴾1 + 2 + 3 ﴿	2,14,752=76
7. दिनांक 31.7.90 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80% ﴿ ﴾-﴿	19 333=00
8. शेष भुगतान योग्य राशि	1,95,419=76
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज- दिनांक 19.8.90 से दिनांक 19.8.90 19.8.90 से 30.8.90 12 दिन का 15% 1,95,419=76	19,327=74 963=71 2,15,711=21 ﴾-﴿ 19,333=00
10. दिनांक 31.8.90 से 12.11.90 तक भुगतान योग्य राशि 15% 104 दिवस 1,96,376=21 पर	1,96,376=21 8,393=06 2,04,769=27 ﴾-﴿ 9,667=00
दिनांक 12.11.90 को भुगतान -	1,95,102=27

नोट:- रू0 1,95,102=27 पर दिनांक 13.11.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नियोजन एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/4

खातेदार की नाम :- भौरी देवी पत्नि श्री गोपाल [illegible]

विवरण	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 13 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49000/- रु0 प्रति बीघा ।	80850=00
2. पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	88198=06
3. योग (1+2)	169048=06
4. धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक (कुल 430 दिन)	23898=30
5. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	50714=41
6. योग = (1 + 2 + 3)	243660=70
7. दिनांक 4.11.89 को भुगतान प्राप्त (-) राशि (80%)	22000=00
8. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि	221660=77
9. कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज - दिनांक 20.8.89 से दिनांक 4.11.89	5166=94
5.11.89 से 19.8.90	15249=04
10. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि-	242076=75

नोट:- रु0 2,21,660=77 पर दिनांक 30.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

...15

ह0/-
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/3।

खातेदार का नाम :- बद्रीपुत्र श्योबक्स 1/2 भैंवरलाल शर्मा, सहाय, हनुमान सहाय गोपाल लाल कन्हैयालाल पि0 जगन्नाथ त्रिपाठी गुलाब देवी बेवा राम कल्याण 1/2

		राशि
1·	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 4 बिस्वा 13 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49000/- रु0 प्रति बीघा ।	205800=00
2·	पेड़, पोधे, डोला, कुँआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	48362=00
3·	योग (1+2)	254162=00
4·	धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक (कुल 430 दिन)	35930=84
5·	धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	76248=60
6·	योग= (1+2 +3)	366341=44
7·	दिनांक······· को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	-
8·	19·8·89 शेष भुगतान - योग्य राशि	366341=44
9·	कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से 19·8·90	32970=72
10·	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	399312=16

नोट :- रु0 3,66,341=44 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । हिस्से- अनुसार चैक बनाये जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/34

खातेदार का नाम:- हनुमान सहाय, लादूराम, कालूराम पि० दामोदर, लादू, नरसी, गोपाल, सीताराम, श्यामलाल पि० रामप्रताप मु० श्रृंगारी देवी बेवा रामप्रताप $\frac{1}{2}$ विमना पुत्र सूंडा $\frac{1}{2}$

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1)	राशि
रकबा बीघा 0 बिस्वा 2 ग्राम श्यापुर भूमि की दर 49000/- रु० प्रति बीघा ।	4900=00
2. पेड़ पौधा, ढोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	25656=11
3. योग (1 + 2)	30556=11
4. धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 18·8·89 तक (कुल 429 दिन)	4309=66
5. धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	9166=83
6. योग = (1 + 2 + 3)	44032=60
7. दिनांक······ ····· को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8. ········· शेष भुगतान - योग्य राशि	44032=60
9. कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	3962=93
10. दिनांक 18·8·89 तक भुगतान योग्य राशि-	47995=53

नोट:- रु० 44032=60 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । खातेदारों के हिस्से अनुसार अलग-2 चैक बनाये जावें ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर

····17

वाद संख्या :- 5/88/35

खातेदार का नाम :- राव दुर्गासिंह पुत्र बहादुर सिंह, श्रीमती कान कंवर
पत्नि दुर्गासिंह 1/6 कल्याण सिंह 1/6 [illegible] 1/6
पुत्री दुर्गासिंह अधेश कुमार वेवा रघुवीर सिंह, अभयसिंह
अजय सिंह पि० रघुवीर सिंह कु० कांता पुत्री रघुवीरसिंह 1/6

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)		राशि
रकबा बीघा 15 बिस्वा 02		724800=00
ग्राम दामोदरपुरा भूमि की दर 48000/- रू0 प्रति बीघा ।		
2. पेड़, पौधे, ढोला कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार		2850=14
3. योग = (1 + 2)		727650=14
4. धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 18.6.88 से 18.8.89 तक (कुल 429 दिन)		102628=56
5. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि		218295=04
6. योग = (1 + 2 + 3)		1048812=97
7. दिनांक 30.12.89 को भुगतान प्राप्त राशि(80%)	(-)	51333=33
8. 18.8.89 शेष भुगतान - योग्य राशि-		997479=64
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज-		34395=31
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 30.12.89		
31.12.89 से 19.8.90		57061=29
10. दिनांक 18.8.89 तक भुगतान योग्य राशि-		1088936=24

नोट:- रू0 997479=64 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । चैक खातेदारों के हिस्से अनुसार अलग-अलग बनाये जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

...18

वाद संख्या :- 5/88/44

खातेदार का नाम :- भैरू, पूरा सोन्या पुत्रान पेमा रैगर

		राशि
1·	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 6 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 46000/- रू० प्रति बीघा ।	13800=00
2	पेड़, पौधे, डोला कुँआ व अन्य निर्माण का तक़मीना मण्डल के अनुसार	3897=88
3·	योग= (1 + 2)	17697=88
4·	धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक (कुल-430 दिन)	2501=94
5·	धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि-	5309=36
6·	योग = (1 + 2 + 3)	25509=18
7·	दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	--
8·	.........शेष भुगतान - योग्य राशि	25509=18
9·	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	2295=82
10·	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	27805=00

नोट :- रु· 25509=18 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/72

खातेदार का नाम :- बिरदी चन्द पुत्र बक्सा राम रैगर

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 ﴾1﴿	राशि
रकबा बीघा 3 बिस्वा 0	144000=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-	
रु० प्रति बीघा ।	
2· पेड़, पौधे, कोठा, कुआ व अन्य निर्माण	
का तखमीना मण्डल के अनुसार	21479=14
3· योग ﴾ 1 + 2 ﴿	165479=14
4· धारा 23 ﴾1﴿ ﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त	
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88	
से 18·8·89 तक ﴾कुल 429 दिन ﴿	23339=53
5· धारा 23 ﴾2﴿ के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य	
अवाप्ति राशि	49643=74
6· योग= ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	238462=41
7· दिनांक········ को भुगतान प्राप्त	
राशि ﴾ 80 % ﴿	-
8· 18·8·89 शेष भुगतान -	
योग्य राशि	238462=41
9· कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष	
तक 9 % की दर से ब्याज-	21461=61
दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	
10· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य	
राशि-	259924=02

नोट:- रु० 238462=41 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

···20

वाद संख्या :- 5/88/87

खातेदार का नाम :- तेहू पु० दूकगा माली

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1}	राशि
रकबा बीघा 0 बिस्वा 3	8085=00
ग्राम सांगानेर भूमि की दर 49000/-	
रु० प्रति बीघा + 10 % विकिसृंग चार्जेज	
2. पेड़, पौधे, होता, कुंआ व अन्य निर्माण	
का तखमीना मण्डल के अनुसार	25930=83
3. योग {1 + 2}	34015=83
4. धारा 23 {1} {{ए}} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त	
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88	
से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन}	4797=62
5. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य	
अवाप्ति राशि	10204=74
6. योग = {1 + 2 + 3}	49018=19
7. दिनांक.. .... को भुगतान प्राप्त	
राशि {80 %}	-
8. .. . .शेष भुगतान -	
योग्य राशि	49018=19
9. कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष	
तक 9 % की दर से ब्याज-	4411=63
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90	
10. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य	
राशि -	53429=82

नोट:- रु० 49018=19 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

...21

वाद संख्या :- 5/88/89

खातेदार का नाम :- भौरीलाल, गोपाल पेमा, मोहन पि० रा[illegible], पाकी

1·	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 04 ग्राम सांगानेर भूमि की दर 48000/- रु० प्रति बीघा । 10 % शिफ्टिंग चार्जेज	राशि 9600=00
2·	पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	960=00
3·	योग (1+2)	10560=00
4·	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक (कुल 430 दिन)	1492=86
5·	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	3615=85
6·	योग = (1+2 +3)	15668=71
7·	दिनांक······ ··· को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8·	········ शेष भुगतान- योग्य राशि	15668=71
9·	कब्जा प्राप्त करनेकी तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	1410=15
10·	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि -	17078=86

नोट :- रु० 15668=71 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

···22

वार्ड संख्या :- 5/88/90

खातेदार का नाम :- घीसा पुत्र जगन्नाथ

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 01 ग्राम सांगानेर भूमि की दर 48000/- रु· प्रति बीघा ।	राशि 2400=00
2· पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3· योग (1 + 2)	2400=00
2· धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 18·8·89 तक (कुल 429 दिन)	338=49
3· धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	720=00
4· योग = (1 + 2 + 3)	3458=49
5· दिनांक.......... को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
6· 18·8·89 शेष भुगतान योग्य राशि	3458=49
7· कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	310=41
8· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि ।	3768=90

नोट :- रू0 3458=49 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट :- आवासन मण्डल द्वारा यह बताया गया है कि तकमीने का भुगतान पूर्व अवार्ड में किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/91

खातेदार का नाम :- भूरा, महावीर, रामू पि0 जगन्नाथ माली

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1)	राशि
रकबा बीघा 0 बिस्वा 03	7920=00
ग्राम सांगानेर भूमि की दर 48000/-	
रू0 प्रति बीघा 10 % शिफ्टिंग चार्जेज	
2· पेड़, पौधे, खोला, कुँआ व अन्य निर्माण	
का तकमीना मण्डल के अनुसार	1071=01
3· योग (1+2)	8971=01
4· धारा 23 (1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त	
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88	
से 18·8·89 तक (कुल 429 दिन)	1265=28
5· धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य	
अवाप्ति राशि	2691=30
6· योग = (1+2+3)	12927=59
7· दिनांक ········ को भुगतान प्राप्त	
राशि (80 %)	-
8· 18·8·89 शेष भुगतान -	
योग्य राशि	12927=59
9· कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष	
तक 9 % की दर से ब्याज -	1163=48
दिनांक 19·8·89 से दिनांक 18·8·90	
10· दिनांक 18·8·90 तक भुगतान योग्य	
राशि-	14091=07

नोट:- रू0 12927=59 पर दिनांक 19·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

····24

वाद संख्या :- 5/88/92

खातेदार का नाम :- गुल्ला, चौथू पि0 टीकू माली

1·	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)	राशि
	रकबा बीघा - बिस्वा 04 ग्राम आगोनेर भूमि की दर 47000/- रु0 प्रति बीघा ।	9400=00
2·	पेड़, पौधे, डोला, कुँआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	300=00
3·	योग (1+ 2)	9700=00
4·	धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक (कुल 430 दिन)	1371=28
5·	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	2910=00
6·	योग = (1 + 2 + 3)	13981=28
7·	दिनांक ········ को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8·	··· ·······शेष भुगतान - योग्य राशि	13981=28
9·	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	1258=31
10·	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	15289=59

नोट:- रु0 13981=28 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/93

खातेदार का नाम :- गुल्ला पु0 टोडू माली

	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा - बिस्वा 02 ग्राम सांगानेर भूमि की दर 47000/- रू0 प्रति बीघा ।	4700=00
2. पेड़, पौधे, कोला, कुआं व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	600=00
3. योग (1 + 2)	5300=00
4. धारा 23 (1)(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक (कुल 430 दिन)	749=26
5. धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अप्राप्ति राशि	1590=00
6. योग = (1 + 2 + 3)	7639=26
7. दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8. .... शेष भुगतान योग्य राशि	7639=26
9. कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90	687.53
10. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि-	8326=79

नोट:- रू0 7639=26 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना नकद धारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/94

खातेदार का नाम :- चौथू पुत्र टोडू माली

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 ﴾1﴿ रकबा बीघा 0 बिस्वा 01 ग्राम सांगानेर भूमि की दर 47000/- रु० प्रति बीघा । + 10% सिक्यूरिटी चार्जेज	राशि 2350=00
2· पेड़, पौधे, खोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	235=00
3· योग ﴾ 1 + 2 ﴿	2585=00
4· धारा 23 ﴾1﴿﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक ﴾कुल ﴾430 दिन﴿	365=44
5· धारा 23 ﴾2﴿ के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	775=50
6· योग = ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	3725=94
7· दिनांक ······ को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80 % ﴿	-
8· ··········· शेष भुगतान - योग्य राशि	3725=94
9· कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	335=33
10· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि -	4061=27

नोट :- रु० 3725=94 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

····27

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/99

खातेदार का नाम :- पंचायत समिति, सांगानेर

	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा.... बिस्वा ..... ग्राम ...... भूमि की दर...... रु0 प्रति बीघा ।	
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	93468=55
3. योग (1+2)	93468=55
4. धारा 23 (1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक .... से .... तक (कुल दिन)	-
5. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	-
6. योग = (1 + 2 + 3)	93468=55
7. दिनांक...... को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8. .... शेष भुगतान - योग्य राशि	93468=55
9. कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक ...... से दिनांक	
10. दिनांक .... तक भुगतान योग्य राशि-	93468=55

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

....28

वाद संख्या :- 5/88/101

खातेदार का नाम :- रामस्वरूपदास, चेला नारायण स्वामी

		राशि
1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 2 बिस्वा 09 ग्राम बंजारा भूमि की दर 04-48000/-9600/- 2·05 -42000/-94500/- ------- 104100/-		104100=00
2· पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार		750=00
3· योग (1 + 2)		104850=00
4· धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·8·88 से 19·8·89 तक (कुल 430 दिन)		14822=63
5· धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि		31455=00
6· योग = (1 + 2 + 3)		151127=63
7· दिनांक 14·9·89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	(-)	49000=00
8· 14·9·89 शेष भुगतान योग्य राशि		102127=63
9· कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से 14·9·89 (25 दिन का)		931=60
15·9·89 से 19·8·90 (340 दिन का)		8561=93
10· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-		111621=16

नोट:- रू0 102127=63 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/103

खातेदार का नाम :- रामेश्वर, सीता राम पि0 प्रताप आ० हुगम हरिपुरा
सा. देह

		राशि
1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 0 बिस्वा 14 ग्राम बंधाला भूमि की दर 52800/- रु0 प्रति बीघा ।	37329=60
2.	पेड, पौधे, हौला, कुँआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	145973=26
3.	योग {1 + 2}	183302=86
4.	धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक {कुल 430 दिन}	25913=49
5.	धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	54990=85
6.	योग = {1 + 2 + 3}	264207=20
7.	दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि {80 %}	-
8.	19·8·89 शेष भुगतान योग्य राशि	264207=20
9.	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	23778=64
10.	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	287985=84

नोट:- रु0 264207=20 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

.. . 31

वाद संख्या :- 5/88/110

खातेदार का नाम :- भौंरी लाल राधेश्याम, गोपाल पि० नारायण 1/2
रंगलाल पि० छोटू 1/2

1.	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 0 बिस्वा 07 ग्राम बंबाला भूमि की दर 48000/- रु० प्रति बीघा । सोलेशियम चार्जेज 10 %	राशि 18400=00
2.	पेड पौधे कोठा, कुँआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	88924=32
3.	योग {1+2}	107404=32
4.	धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन}	15183=73
5.	धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	32221=29
6.	योग = {1+2+3}	154809=34
7.	दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि {80 %}	-
8.	.... शेष भुगतान योग्य राशि-	154809=34
9.	कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90	13932=84
10.	दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि -	168742=18

नोट :- रु० 154809=34 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/113

खातेदार का नाम :- कल्याण, मंगला, कोटिया पि0 ग्यारसा 1/2

नारायण पुत्र धन्ना 1/4, भौरया पुत्र नानगा 1/4

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 02 ग्राम दामोदरपुरा भूमि की दर 48000/- रु0 प्रति बीघा ।	राशि 9600=00
2· पेड़, पौधे, डोला कुँआ व अन्य निर्माण का तकनीकी मण्डल के अनुसार	20049=72
3· योग (1 + 2).	29649=72
4· धारा 23 (1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक (कुल 430 दिन)	4191=57
5· धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	8894=91
6· योग = (1 + 2 + 3)	42736=20
7· दिनांक ....को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8· 19·8·89 शेष भुगतान योग्य राशि	42736=20
9· कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	3846=25
10· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	46582=46

नोट:- रु0 42736=20 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- चैक हिस्से अनुसार अलग-2 बनाया जावे ।

विशाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/114 ए व 5/88/115

खातेदार का नाम :- कल्याण छेदा मंगला पि0 दयाला

कल्याण मंगला, छेदा पि0 दयाला

	राशि
1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23{1} रकबा बीघा 15 बिस्वा 11 ग्राम दामोदरपुरा भूमि की दर 48000/- रु0 प्रति बीघा ।	746400=00
2. पेड, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल केअनुसार	138625=81
3. योग {1 + 2}	885025=81
4. धारा 23{1}{ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन}	125115=96
5. धारा 23{2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	265507=74
6. योग ={1 + 2 + 3}	1275649=51
7. दिनांक 3.10.89 को भुगतान प्राप्त राशि {80 %} {-}	488000=00
8. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि-	787649=51
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20.8.89 से दिनांक 3.10.89 / 4.10.89 से 19.8.90	79871=32
10. दिनांक .... तक भुगतान योग्य राशि-	867520=83

नोट:- रु0 787649=51 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/124

खातेदार का नाम :- कल्याण पुत्र गंगाराम जाति मीणा जा॰ देहलान, जयपुर
रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

		राशि
1•	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 16 बिस्वा 14 ग्राम बुद्धसिंहपुरा भूमि की दर 48000/- रु0 प्रति बीघा ।	801600=00
2•	पेड़ पौधे डोला, कुँआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	218962=35
3•	योग (1 -+ 2)	1020562=35
4•	धारा 23 (1) (ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16•6•88 से 19•8•89 तक (कुल 430 दिन)	144276=07
5•	धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	306168=60
6•	योग =(1 + 2 + 3)	1471007=02
7•	दिनांक •••••••को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8•	•••••••••••••शेष भुगतान योग्य राशि	1471007=02
9•	कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20•8•89 से दिनांक 19•8•90	132390=62
10•	दिनांक 19•8•89 तक भुगतान योग्य राशि	1603397=64

नोट:- रु0 1471007=02 पर दिनांक 20•8•90 से भुगतान की तिथी तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/126

खातेदार का नाम :- भौला पुत्र गोपाल

1· भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 19 बिस्वा 01 ग्राम बुर्दीसिंहपुरा भूमि की दर 48000/- रू0 प्रति बीघा ।	राशि 914400=00
2· पेड़, पौधे, कोठा, कुआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	53150=29
3· योग {1 + 2}.	967550=29
4· धारा 23 {1}{ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक {कुल 430 दिन}	136782=44
5· धारा 23{2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	290265=08
6· योग = {1 + 2 + 3}	1394597=73
7· दिनांक ········ को भुगतान प्राप्त राशि {80 %}	-
8· 19·8·89 शेष भुगतान योग्य राशि	1394597=73
9· कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	125513=73
10· दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	1520111=46

नोट:- रू0 1394597=73 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल विशेषाधिकारीद्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या - 5/88/35 ए

खातेदार का नाम :- विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)	राशि
रकबा बीघा 0 बिस्वा 6 (907.50 वर्गगज) ग्राम श्यामपुर भूमि की दर 35/-वर्गगज रु0 प्रति	31762=50
2. पेड़ पौधे, कोला, कुआं व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार + 10% रिमार्टिंग चार्जेज	6710=69
3. योग (1 + 2)	38473=19
4. धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक (कुल 430 दिन)	5438=94
5. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	11541=95
6. योग = (1 + 2 + 3)	55454=08
7. दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि (80 %)	-
8. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि	55454=08
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90	4990=86
10. दिनांक 19.8.89 तक भुगतान योग्य राशि-	60444=95

नोट:- रु0 55454=08 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 5/88/111

खातेदार का नाम :- हनुमानसहाय, -

लादूराम,कालूराम पि॰दामोदर 3/4 नरसीलाल गोपाल लाल सीताराम, श्यामलाल पि॰रामप्रताप श्रृंगारी देवी बेवा रामप्रताप 1/4

1·	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 0 बिस्वा 06 ग्राम दामोदर पुरा भूमि की दर 48000/- रू० प्रति बीघा ।	राशि 14400=00
2·	पेड़,पौधे, डौला, कुँआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	-
3·	योग { 1 + 2 }	14400=00
4·	धारा 23 {1 }{ए}के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16·6·88 से 19·8·89 तक {कुल-430 दिन}	2035=72
5·	धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	4320=00
6·	योग = { 1 + 2 + 3 }	20755=72
7·	दिनांक .... को भुगतान प्राप्त राशि { 80% }	-
8·	.... शेष भुगतान - योग्य राशि	20755=72
9·	कब्जा प्राप्ति करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - दिनांक 20·8·89 से दिनांक 19·8·90	1868=01
10·	दिनांक 19·8·90 तक भुगतान योग्य राशि-	22623=73

नोट:-रू0 20755=72 पर दिनांक 20·8·90 से भुगतान की तिथी तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । खातेदारों के हिस्से अनुसार चैक बनाये जावें ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज॰, जयपुर

....38

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9(30)नविआ/3/83 जयपुर दिनांक 30.5.91 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है । अतः आज दिनांक 30.5.91 को भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है । अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों शामिल फाइल किया जाकर धारा 12(2) के अन्तर्गत सम्बन्धित खातेदारान् को अवार्ड की प्रति सहित नोटिस भेजकर सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवश्यक विभाग राजस्थान जयपुर, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर व तहसीलदार सांगानेर को भी भेजी जावे ।

अवार्ड बरेइजलास घोषित किया गया । मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के साथ दिनांक 30.5.91 को जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी.
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय ब्लिंग एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भुगतान करने हेतु ।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर ।
4. सम्बन्धित खातेदार श्री---------------------।

विशेषाधिकारी.
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर ।